

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5(294)/निपेवि/नियम/2018/पार्ट-II/651-700 H

दिनांक : 13-03-2019

कोषाधिकारी (समस्त)
.....(राजस्थान)

विषय:- वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 06.06.2018 एवं 18.07.2018 के तहत 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनर्स की पेंशन संशोधन में N.P.A के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

संदर्भ:- कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर का पत्र क्रमांक 2827 दिनांक 13.02.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के N.P.A. के संबंध में प्री-2016 के संशोधित पेंशन नियत करते समय N.P.A. की राशि जो कि पूर्व में प्राप्त कर रहा है, उसे बिना परिवर्तित किये /मूल वेतन के आधार पर प्राप्त नोशनल वेतन व पूर्व में प्राप्त N.P.A. को शामिल कर पेंशन की प्री-2016 के अधीन गणना में लिया जाना नियमानुसार है। अतः प्रकरणों में उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का श्रम करावें।

भवदीय,

६०

(जे.एल.जांगिड़)


निदेशक

क्रमांक :- प.5(294)/निपेवि/नियम/2018/पार्ट-II/651-700 H

दिनांक : 13-03-2019

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग क्षेत्रीय कार्यालय (समस्त).....(राज.)
2. संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उपनिदेशक, आई.एफ.पी.एम.एस, कार्यालय हाजा।
4. उपनिदेशक, कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा, कृपया पत्र को सभी कोषाधिकारी व पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय को मेल करें।
5. सहायक निदेशक, प्री-2016 (संशोधित प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा


संयुक्त निदेशक